Director
31 OCT 2015

Office of the Director of Geology & Mining
Receipt No. 1166
Dated 31 OCT 2015
इन्द्रावती नया रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3–5/2008/12 रायपुर, दिनांक 30 OCT 2015

प्रति,

संचालक,
भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छ.ग.

विषयः–आईबीएम नागपुर द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत् सहमति (इण्डोर्समेंट) करने बाबत।

संदर्भः–आपका पत्र कमांक 5308/खनि/न.क./2015, दिनांक 30.09.2015

––00––

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आपने आईबीएम नागपुर द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान को पुनः राज्य स्तरीय अधिकारियो से पुनः सहमति (इण्डोर्समेंट) कराने की अनिवार्यता किया जाना आवश्यक नही होने का लेख किया गया है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में निम्नानुसार हैः–

2.1 राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 2–12/2005/12, दिनांक 22.11.2006 द्वारा आवेदक श्री अरविंद सोनी के पक्ष मे जिला जांजगीर–चांपा, तहसील जैजैपुर स्थित ग्राम अकलसरा के खसरा नंबर 1263/1, रकबा 10 एकड क्षेत्र पर 01 वर्ष की अवधि के लिये पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई थी, जिसका अनुबंध निष्पादन दिनांक 23.01.2007 को किया जाकर आवेदक ने उक्त क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य उपरांत पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ दिनांक 06.12.2007 को खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया गया।

2.2 आवेदक के पक्ष में उपर्युक्त 10.00 एकड़ क्षेत्र पर 30 वर्ष की अवधि के लिए खनिज डोलोमाईट का खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.8.2011 द्वारा आवेदक को आई.बी.एम. द्वारा अनुमोदित मायनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया ।

2.3 उपर्युक्त क्षेत्र के लिए इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स के पत्र कमांक JNG/DOL/MPLN-1117/NGP, दिनांक 16.8.2012 द्वारा मायनिंग प्लान अनुमोदित किया गया हैं।

2.4 केन्द्रीय सरकार, खान मंत्रालय व्दारा भारत के राजपत्र संख्या 333 में प्रकाशित अधिसूचना कमांक 423(अ) नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के सरल कमांक (xi) पर उल्लेखित आवेदित खनिज डोलोमाईट को गौण खनिज घोषित किया गया है।

2.5 खनिज साधन विभाग व्दारा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना दिनांक 27.03.2015 में "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015" का प्रकाशन किया गया है। जिसमें उल्लेखित अनुसूची–एक के भाग "ख" में अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है तथा नियम 21 के अंतर्गत उन खनिजों के रियायत के स्वीकृति के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियां राज्य शासन को प्राप्त है।

2.6 आवेदक श्री अरविंद सोनी द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 22 एवं 23 के अंतर्गत निर्धारित समयावधि में खनिज डोलोमाईट के उत्खनन पट्टा हेतु प्ररूप–नौ में संशोधित आवेदन पत्र दिनांक 25.4.2015 प्रस्तुत किया है।

2.7 उपरोक्त पैरा में उल्लेखित तथ्यों के प्रकाश में श्री अरविंद सोनी के पक्ष में पैरा–2.1 में दर्शित क्षेत्र पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 43 की तालिका के सरल क्रमांक–2 के तहत 10 वर्ष की अवधि के लिए खनिज डोलोमाईट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक निर्णय लिया जा कर भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07.10.2014 के परिप्रेक्ष्य में आवेदक को उत्खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य हेतु आवश्यक पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करने बाबत् विभागीय पत्र दिनांक 18.06.2015 द्वारा लिखा गया।

.....2